

असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

व्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] No. 216] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, जुलाई 15, 1982/आवाड 24, 1904 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 1982/ASADHA 24, 1904

इस भाग में भिन्न पुक्त संख्या को काली है किसले कि यह जलग तंत्रकान के रूप में रका जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

स्चना और प्रसारण मंत्रालय

अधिस्**च**ना

नई दिल्ली, 15 जलाई 1982

सार्कार निरु 496 (अ) ----राष्ट्रपनि सिवधान के धनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदश्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए, सूचना धौर प्रसारण नंबालयं में कतिपय समूह 'क' श्रोर समृख 'ख' पदों पर मर्नी की प्रहान का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, मर्थात →-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का सिक्षप्त नाम दूरवर्णन (समृह 'क' और समृह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1982 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाणन की सारी खाको प्रवृत्त होगे।
- 2 लागू होना ये नियम इन नियमों से उपाबद भनुसूची के स्तम 2 मे निविष्ट पदों को लागू होगे।
- 3 पद-म≆या वर्गीकरण भीर वेननमान उक्त पदा की सख्या, उनका वर्गीकरण भीर उनके वेननमान वे होंगे जो उक्त भनुसूची के स्तज 3 के 5 के विनिर्दिष्ट है।
- 4 प्रारम्भिक गठन (1) नियमित रूप से नियुक्त म्राकाणवाणी के ऐसे मधिकारी, जो इन नियमों के प्रारम की तारी को इन नियमों से उपावह म्रानुसूत्री के स्तम 2 में विणित पदों पर दूरदर्शन में कार्यरत हैं या जिन्होंने उस तारी ख से पूर्व किसी भी समय उन पर कार्य किया है भीर जो दूरदर्शन के काउर में श्रामेलित होने के इच्छुक है, प्रार्भिक गठन के समय उन पदों के जो वे नियमित रूप से धारण कर रहे थे तरस्थानी पदों पर नियुक्त के खिए विचार किए जाने के पान्न होंगे परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी इन नियमों के प्रारभ होने की तारी ख से तीन मास के भीतर उस निमित्त लिखित में मनुरोध करते हैं।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिश्ट प्रधिकारियों की उनकी घपनी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तिमा का अवधारण ज्यन समिति द्वारा किया आएना जो सध लोक सेवा श्रायोग द्वारा गठिन की जाएगी। उस समिति का ध्रध्यक्ष, प्रायोग का ध्रध्यक्ष या सदस्य होगा घीर उपयुक्त प्रास्थिति के घिषक से घिषक वो प्रतिनिधि होगे जो सूचना और प्रमारण मन्नालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएगे। चयन समिति ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए घषिकारियों की सूची तैयार करेगी और उसे द्वायोग को प्रस्तुत करेगी। उक्त सूची के प्राप्त होने पर ध्रायोग सबधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त पए गए घषिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रप्ता सुचना और प्रमारण महालय को भेजेगा।

- (3) उप-नियम (2) में वर्णित भक्तिकारिः । की, बूरवर्धन के कासर में नियमित पहले की नियमित लगातार सेवा, परिकोक्षा श्रविध, प्रोन्नति-पुष्टिकरण भीर पैंशन के प्रयोजन के रूप में भ्रहेंक सेवा गणना में ली जाएगी।
- 5. भावी अनुरक्षण: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्दुताएं और इनसें संबंधित शब्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद अनसूची के स्तंभ 6 से 15 मैं विनिद्दिय्द हैं।
 - तिरहेंताएं : वह व्यक्ति
 - (1) जिसने ऐसे व्यक्ति सें, जिसका पति वा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, वा
- (2) जिसने धपने पति या प्रपनी पत्नी से जीनित होते हुए किसी व्यक्ति से विचाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पांत्र नहीं होगा :

परस्तु यवि केस्त्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्रन्थ पक्षकार को लाग स्वीय विधि के प्रधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए ग्रन्य भाषार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्षन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राग है कि ऐसा करना झावश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए को कारण हैं उन्हें केन्नवह करके स्था संघ लोक सेवा झायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबन, भावेश द्वारा शिथिख कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई की बात ऐसे, भारकणों, झामुसीमा में कूट और मन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं बालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार झारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए भावेशों के झनुमार झनुसूचित आतियों, झनुसूचित जनजातियों और प्रन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना भपैक्षित है।

				म नुसू ची			
फ्रं≎ पदकामान सं∘	नदों की संख्या	अर्गीकरण	वेतनमास	चयन पव श्रज्जबाद्यच- सन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फामधा केन्द्रीय सि- विल सेवा (पेंशान) नियम, 1972 के नियम 30 के श्राधीन धनुकोय है या नहीं।	सी घ्रे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए भायु-सीमा	सी से भर्ती किए जाने बाले स्थक्तियों के लिए बीक्षिक सौर भ्रत्य सर्हुताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. महरिनदेशक	1 (1982 में काये भार के प्राधार परिवर्तन किया था संकता	1 1	2500-125- 2750 च	चयन	नही	50 वर्ष से मधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए लिए केन्द्रीय सरकार शारा जार. मनुदेशों के भनुसार 5 वर्ष तक जियल की जा सकनी हैं। टिप्पण: भायु सीमा मवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख भारत में रहते वाले सम्बन्धियों से (उनसे मिश्र जो भावमान मौर निकोबार ब्रीम तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) मावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई मंतिम तारीख होगी।	भावभ्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वन- विद्यालयं की छपाधि याँ समतुस्य। (ii) किसी शैक्षिकः, सांस्कृतिकः, दूरवर्गनः फिल्मः, कार्यक्रमः निर्माण, प्रकार या व्यावसायिकः संस्या/संगठन में पर्यवेक्षी रूपः में 15 वर्ष का भ्रनुभव जिसके भन्तर्गत संगठन की योज्यता भी र क्षमता के साथ पर्याप्त साधारण प्रणासनिक भनुभव भी है। (iii) भारन की सांस्कृतिकः, विरा- सत भीर देश की साहित्यिकः, सांस्कृतिक भीर कलात्मकः प्रभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपो का भान।

भारत का राजपद्धः ग्रसामारण i₁ 3 4 7 2 5 6 (iv) सामयिक विषयों भीर सम-कासीन विचारीं का कान। टिप्पण:-- 1 म्रहेताएँ भग्नयथा सू**म**-हित अभ्यधियों ही बशा में संब लोक सेवा भायोग के विवेका-नुसार शिषिल की आ सकती दिप्पण : 2---भ्रमुनव संबंधी अर्देत। प्रदेताएं संध लोक सेवा भागीय के विवेकानुसार भद्-सुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के मध्य-षियों के मामले में उस दशा में मिथिल की जा सकती है/है जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संच लोक सेवा द्वायोग की यह राय है कि इनके लिए भारकित रिक्त स्थानों को भरने के लिए मपेक्षित मनुभव रकाने वाले इन समुदायों के ग्राम्यर्थी पर्याप्त संबंधा में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। प्रोन्नति/प्रतिनियुम्ति/स्थानातरण यवि विभागीय प्रोप्तति सीधी धर्ती किए जाने परिवीक्षाकी भर्ती की पदाति/भर्ती सीधे होगी भर्ती करने में किन परि-या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/ द्वारा भर्ती की दश। में वे श्रेणिया समिति है ती उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक वाले व्यक्तियों के लिए भ्रवधि यदि कोई जिनसे प्रोप्तति/प्रतिनियुक्ति/स्था-स्थानांतरण द्वार। भर्ती किए जाने सेवा भागोग से परामणी विहित प्राप् वाली रिक्सियों की प्रतिशतता नांतरण किया जाएगा किया जाएगा मोर गैक्षिक महंताएं प्रोक्सित की दशा में लागृ होगी या नहीं 12 13 10 11 14 9 प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर प्रोन्नति : प्रोन्निति भौर पुष्टिकरण पर 2 **वर्ष** सीधी मतीं करते समय नहीं स्थानातरण द्वारा या सीधी (1) ऐसा भ्रपर महानिदेशक विचार करने के लिए मौर प्रतिनियक्ति पर समूह "क" भर्ती द्वारा वास्तविकता पद्धति जिसने उस भेणी में 2 वर्ष की विभागीय नियुक्ति के लिए ग्रधि-के बारे में प्रत्येक भवसर पर नियमित सेवाकी है। समिति : कारी का खयम करते संघ लोक मेवा ब्रायोग के परा-(2) उपरोक्त (1) के न हो सकते (1) भव्यक्ष/सदस्य, समय संघ शोक सेवा संघ मर्श से विनिष्चय किया पर ऐसा भ्रपर महानिदेशक लोक सेवा द्याक्षोग--भायोग से परामर्श आएगा। जिसने भपर महानिदेशक भौर भस्यक करना भावश्यक है। उप महानिदेशक की श्रेणियों (2) सचिव, सूचना मौर में कुल मिलाकर 5 वर्ष की प्रसारण मैझालय -नियमित सेवा की है सदस्य प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (1) (i) ऐसे धिकारियों से जो प्रसिद्ध भारतीय सेवाधीं में सवश पव धारण करते हैं था 2500-2750 ₹≎ वैतनमान के पद्यों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं, और (ii) ऐसे प्रधिकारियों में से जो

> केन्द्रीय सरकार (जिसके मंस-र्गेत केन्द्रीय सेवा समृह "क"

संघलाक मेर्नाध्रायोग के विवे-कानुसार, णिथिल की जा

टिप्पण: 2 प्रमुभव संबंधी प्रहुंत।
प्रहेताएं संघ लोक सेवा प्रायोग
के विवेकानुमार प्रमुस्चिन
जातियों प्रथवां प्रमुस्चिन
जन जातियों के प्रभ्यथियों के
मामले में उस दशा में शिथल
की जा सकती है/हैं जब कि
चयन के किसी प्रक्रम पर संघ

सकर्ता है ।

भाग [1——खड 3(1) ————————	<u> </u>				
1 1 ?	3	1 5	6	7	
				है कि । स्थाना क्षितः समुदाः	नेवा ध्रायोगकी यह राय इनके लिए अगरिक्षत रिक् को भरने के लिए ध्रपे- प्रनुभव रखने याले इन यो के अध्यर्थी पर्याप्त में उपलब्ध नहीं हो
में भे भर्मी किए जाने बाले व्यक्तियों केलि विहित क्रायु क्रीर सिंभक श्रहेताए प्रोक्ति के दशा में लागृहानी या नहीं	पण्जिक्षाः र्व अवश्वेषः, यदिकाई हा	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होग। या प्रोप्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण द्वारा भर्ती किए जाने बार्ला रिक् स्या की प्रतिशतता	प्रोन्निनिप्रतिनियुक्ति/स्थानानरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रान्नात/प्रतिनियुक्ति/स्था- नातरण किया जाण गी	यदि विमागीय प्रोप्निति समिति है तो उसके सरचना	भर्ती परने में किने परि- स्थितियों में संघ लोफ सेवा द्रायान से परीमर्श किया जाएगा
9	10	11	1 2	13	1 4
नहो	2 वर्ष	प्राप्तिक्द्वाच्या प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा, वास्तिकि पद्धति के बारे से प्रत्येक प्रवत्तर पर स्थानाक्ष सेवा श्रायोग के परा- सर्थ ने विनिश्चय किया जाएगा	प्रेशित ऐसा उप महानिदेशक जिसने उस श्रेण में अर्थ की निर्धामन सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानासरण (1)(1) गेसे अधिकारियों में से जिन्होंन क खिल भारतीय सेवा में 14 वर्ष की नेवा की है, और (i) ऐसे अधिकारियों में से जो कन्द्रीय संस्थार (जिसके अतर्गत केन्द्रीय संस्थार (जिसके अत्र्गत केन्द्रीय संस्थार (जिसके अत्र्भत केन्द्रीय संस्थार (जिसके अत्र्भत केन्द्रीय संस्थार करने हैं या जिन्होंने 2000-3250 क० या सम्बद्धार वेतनमान बाले पदो पर 2 वर्ष सेवा की है, श्रीर (2) जिनके पाम स्तभ 9 के नीचि (ii) में बर्णित अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अविधि 5 वर्ष से श्रीयक होगी)	प्रोप्तित पर विचार करने के लिए समूह के विभागीय प्रोप्तित समिति (1) प्रध्यक्ष/सबस्य, सम लोक सेवा प्रायोग — प्रध्यक्ष (11) सचिव, सूचन, प्रसारण महालय — सबस्य (111) महानिदेशक, दूरदर्शी — सबस्य 2 पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह कि विभागीय प्रोप्तित 1 सिविध मुचना और प्रसा महानिदेशक दूरदर्शन-सबस्य टिप्पण पुष्टि से सम्विध विभागीय प्रोप्तित समिति के कार्यवादियों, सभ लोक लोक सेवा प्रायोग के प्रतु-भोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि सम्व लोक सेवा प्रायोग के प्रतु-भोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि सम्व लोक सेवा प्रायोग हैनका प्रमुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोप्तित समिति के कार्योग के प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की प्रध्यक्षता में फिर से होगी।	करने समय सघ लॉक सेवा श्रायोग से परामर्श करना प्राय- ध्यक है। त

6		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II-					ART II—SEC. 3(i)]
पद का नाम	पदों कीं संख्या	वर्गीकरण	वेतमभाग	चयन पद प्रथमा धन- यन पद	सेवा में जोड़े गए कर का फायदा केन्द्रीय वे (पेंशन) नियम नियम : 0 के द्राधी या नहीं।	तेवा किए जॉने के लिए। के वालेब्य-	किए जाने वाले व्यक्तियों गैक्षिक झौर झन्य अईताए
1	2	Ĺ	4	5	6	7	8
2. उप महानिवेशक	3 कार्यभार साधार के आधार समूह पर परि- वर्तन किसा जा	ण केल्कि'य सेवा ह 'क' राज÷ पक्षित	2000-125/2- 2250 ব্	चयन	सागू नहीं हीता ।	लागूमही होता ल	ागू नही हो ता ।
सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित झायु भौर गैक्षिक अर्हेनाएँ प्रोक्ति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की र भवधि यदि कोई हो	या प्रोन्निति हा स्थानांतरण द्व	तं/भर्ती सीधे होगी राया प्रतिनियुक्ति/ ाराभर्ती किए जाने ों की प्रनिशतना	द्वारा भर्ती व	नियुक्ति/स्थानांतरण हो बणा में वे श्रेणियां ति/प्रतिनियुक्ति/स्था- या जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचन।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श किया जाएगा
9	10		1	12		13	14
				कार्यक्रम नियंत्रक,	क (दूरवर्षन केन्द्र), नियंत्रक भीर विकय जिसने उस श्लेणी में ही नियमित सेवा की	लिए समूह 'क' विभागीय प्रोक्षित समिति (1) प्रध्यक्ष/सदस्य, संघलोक सेवा प्रायोग प्रध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, सूचना प्रीर प्रसारण मंत्रालय सवस्य (3) महानिदेशक, वूर- वर्षनसवस्य 2. पुष्टि पर विचार करने के लिए ममूह 'क' विभागीय प्रोक्षित समिति (1) सजिव/संयुक्त सचिव सूचना और प्रमारण मंत्रालयप्रध्यक्ष (2) महानिदेशक वूरदर्शन केन्द्रसदस्य टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोक्षित समिति की कार्यवाहिया, संघलोक सेवा प्रायोग के प्रमुसोदनार्थ भेज जाएगी। 'कत्नु, यदि संघ लोक सेवा प्रायोग प्रोक्षित ममिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग	करते समय संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना भावस्यक नहीं 'है।

							- -
я́	दों की संख्या	वर्रीकरण	वेतनमाम	चयन पद प्रथता श्रचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, के नियम 30 के प्रधीन है या नहीं	सीक्षे मर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रायुसीमा	सीके भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शक्षिक भीर भ्रन्य प्रहेताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4-(1) निदेशक (दूरदर्शन केन्द्र)-1 (2) कार्यक्रम निमंत्रक-3 (3) विक्रम निमंत्रक-1	14 0 (1982) कार्गभार के स्राधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'' राजपन्नित	1500-60- 1800-100 2000 %	म यन	नर्हो	45 वर्ष से अधिक नही (सरकारी सेवको के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुवेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिन की जा सकती है) टिप्पण आयु मीमा अवधारिन करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में रहने वाले अध्याधियों से (उनसे मिन्न ओ अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन प्राप्त	श्रावण्यकता: (1) किसी मान्यनाप्राप्त विषय- विद्यालय की उपिछ या समतुत्य (2) दूरदर्णन के लिए कार्यक्रम की योजना और निर्माण या ध्वनि प्रसारण या फिल्म या नाटक या कृष्य प्रभाव के साथ प्रचार का भी 10 वर्ष का श्रद्भव जिसके श्र-तर्गन प्ययेक्षी रूप मे 3 वर्ष का प्रशासनिक और संगठतारमक अनुभव भी हो। (3) भारत की सोस्कृतिक विरासत का और वेश की सांस्कृतिक और कलात्मव द्याभव्यवित्यों के विभिन्न हथी का गहन क्षान (साध्य किया जाएग

सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए बिहित प्रायु और गैक्तिक प्रहेताए/ प्रोत्नित की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की स्रवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती संधि होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रकिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वार्षा रिक्तियो की प्रतिशतत।	प्रोन्निम/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्नी की दक्षा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्निम/प्रिनिनियु।क्त/ स्थानान्तरण किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों भे संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	1 2	13	14	15
- 	2 वर्ष	(1) 33 प्रतिशत प्रोन्तिति हारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनिमुक्ति पर स्थानातरण (जिसके धरतर्गत धरपकालिक संविदा भी है) हारा। (2) 33 प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिनिमुक्ति पर स्थानातरण जिसके अस्तर्गत धरपकालिक	प्रोन्नित उपनिदेशक (कार्यक्रम) धौर जन सपर्क धिक्षकारं। जिसने उच्च श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानां- तरण (जिसके प्रन्तर्गत घल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण— केन्द्रीय सरकारं/राज्य सरकारों अर्थ सरकारं। कानुनी या स्थायत्त सगठनो/परिषदो/सस्थात्रों के ग्रधीन	ा प्रोन्नित पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति: (1) अध्यक्ष/सबस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचित्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य (3) महानिदेशक, दूरवर्शन प्रिट पर विचार—मदस्य करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति . (1) संयुक्त सचित्र, सूचना प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक, दूरवर्शन —सदस्य (3) प्रचर महानिदेशक संवस्य (3) प्रचर महानिदेशक के उपमहानिदेशक संवस्य	र्स थे। भनीं करने समय स्रोर प्रतिनियुक्ति सिवता स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए किसी प्रिष्ठकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा श्रायोग से दूररा-
			श्रध्यक्षतामें फिरसे होगी।	का	

षद का नाम	पदो भी मं०	बर्सीकरण	बेतनसान	चवन पत्र ग्रथमा श्रचयन पद		वाले व्यक्तियों के लिए ग्रायु-सीमा	भिष्टेभर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक श्रीर धन्य प्रहेनार्ण
1 2	3	4	5	6	7	8	9
5-(1) उप निदे- सक (कार्यंक्रम)-8 (2) जन संपर्क इक्रिकारी-1		लाधारण केन्द्रीय सेवा नमूद्र ''क'' राजपश्चित	1100-50- 1600 হ ৩	चब न	नही	40 वर्ष से घधिक नहीं (नरकारी सेवका के लिए केस्ट्रीय सरकार (द्वारा जारी किए गण	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय की उवाधि या सम-

2

6

परिवर्तन किया जा सकता है।

3

जासकती है) प्रस्यणियों से (भिन्न निकोबार द्वीप सथा लक्षत्रीप में रहते हैं) भावेदन प्राप्त करने के व्यक्तियों के

अनुदेशों के अनुसार (ii) 7 वय का अनुभव जिसके ठ वर्ष तक शिथिल की अन्तर्गत दूरदर्शन के लिए कार्य-त्रमों की योजना भौर निर्माण टिप्पणः श्राय् सीमा याध्वनि प्रसारण या फिल्म या ग्रवधारित करने के नाटक या दश्य प्रभाव के साथ लिए निर्णायक तारीख प्रचार का प्रयंवेक्षी के रूप भारत में रहने वाले में 3 वय के प्रशासनिक धौर संग्रहनात्मक ग्रन्भव भी है। जो मन्दमान भौर (iii) भारत की सांस्कृतिक विरासत का धौर देश की सांस्कृतिक भीर कलात्मक अभि-विभिन्न रपों लिए नियत की गई का गहन-ज्ञान (साध्य दिया षंतिम तारीख होगी। जाएगा)

8

टिप्पणी :

ाः मर्शताप्, मन्यया सुमहित मन्ययियों की दशा में संघ लोक सेवा भायोग के विवेकानसार शियिल की जा सकती हैं। टिप्पण: 2--मनुभव संबद्धी **प्रहेता/प्रहेता**एं संघ लोक सेवा भायोग के विवेका-नुसार प्रनुमृचित जातियों भीर अनुसूचित जनजातियों के प्रभ्यथियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संध लोक सेवा भायोग की यह राय है कि इनके लिए भारकित रिका स्थानों को भरने के लिए प्रपेक्षित प्रमुभव रखने वाले इन समदायों के अध्यदी पर्याप्त संस्था में उपलब्ध मही हो सर्केंगे।

वांद्रनीय:---

- (i) हिंदी ग्रीर ग्रधिमानतः एक भ्रन्य भारतीय भाषाका शास ।
- (ii) सांस्कृतिक गतिविधियो का ग्रायोजन करने का ग्रन्-भवः
- (iii) अंग्रेजी से भिन्न ग्रन्थ एक विदेशी भाषाका ज्ञान।
- (iv) भाकस्मिक दूरदर्शन काय-कम में भाग लेना।

9	10	11		1 2	13	14
न हीं	2 वर्ष प्रोप्ततिः ऐसा सहायक केन्द्र निदेशकः, उप सहायक कार्यक्रम नियंत्रक भीर सहायक विकय नियं स्रक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष के नियमित सेवा की है।		 (1) घ्रध्यक्ष/सदस्यो संघ लोक सेवा ध्राय (2) संयुक्तसचीव, घौर प्रसारण मंत्र (3) महानिदेशक, वृ सदस्य 	प्रोन्नित समिति शेग-मध्यभ सूचना लय-सदस्य (रदर्शन- विदेशक/उप करने के लिए विप प्रोन्नित सूचना और स्था स्वा और स्था क/उप महा- विदेश महा- विदेश में स्वा नार्थ भेजी द संघ लोक मणीय विभागीय विश्वानीय है उक मंछ ह ध्रम्भक्ष	भागीय सीधी भर्ती करने स्रेमय संघलोक सेवा झायोग से परामर्श करना झावस्यक है।	
1	2	3	4	5 6	7	8
6. (1) सहायक केन्द्र निवेशक-29* (2) उपसहायक कार्यंक्रम नियं- सक-2 (3) सहायक विक्रम नियंसक-1	32 [#] कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क'' राजपन्नित	900-40-1100 व०रो०-50- 1400 द०	धयम नहीं	द्वारा जारी किए गए धनुवेशों के प्रनुसार, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः घायु सीमा घवधारित करने के लिए निर्णायक सारीख भारत में रहने वाले भ्रम्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो	(2) दूरवर्गन के लिए कार्यक्रमें की योजना धौर निर्माण या ध्वनि प्रसारण या फिल्म या भाटक या दूष्य प्रभाव के साथ प्रचार का उवर्ष का प्रमुख्य (3) भारत की सांस्कृतिक विरास्त का धौर वेग की सांस्कृतिक धौर कलात्मक ध्रमिष्यवित्तयें के विभिन्न रूपों का गहल ज्ञान

1 <u></u>	2	3	4 5	6 7	8	9
						अनजातियों के भ्रभ्यािषयों के मामले में इस दशा में शिथिल की जा सकती हैं जबकि चयन के किसी प्रकम्पर संघ लोक सेवा भ्रायोग की यह गय है कि इनके लिए भ्रमेक्षित स्थानों को भरने के लिए भ्रमेक्षित स्थानों को भरने के लिए भ्रमेक्षित स्थानों के भ्रभ्यर्थ पर्याप्त सक्या में उपलब्ध नहीं हो मकेंगे! बाल्जनीय
					1	(1) हिन्दी क्रौर ग्रधिमानत एक अन्य भारतीय भाषाक क्रान।
						(2) सांस्क्रसिक गतिविश्विये का ग्रायोजन करने का धनु भवा
						(3) अभ्रेजी से जिझ अस्य एक विदेशी भाषा का ज्ञान । (4) आकस्मिक दूरवर्शन कार्यः कम में भाग लेना।
10		11	1 2	13	14	15
महीं		2 वर्ष	(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीघी भातीं द्वारा। (2) 25 प्रतिशत सीधी भातीं द्वारा।	प्रोन्नित ऐसा कार्यक्रम प्रधिशासक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हैं। टिप्पण प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची भशिकारी द्वारा सबधित श्रेणी/पद पर विहित प्रहेंक सेवा पूरी करने की सारीख के प्रति निर्वेश से सैयार की जाएंगी।	के लिए समूह "क' गीय प्रोन्निति ः (1) घ्रष्ट्यक्ष/सदस्य, लोक सेना धायोग- (2) घ्रपर महानिवे	'विभा- प्रोन्निति करते समय समिति संघलोकसेवा ग्रायोः , संघ से परामर्शकरन -प्रश्नमक ग्रावस्यकहै।
					(3) उप सचिव, भीर प्रसारण म सदस्य (4) निवेशक (क	वासय
					दूरवर्णन सर्व 2 पुष्टि पर विच केलिए	ार करने
					समूह ''क'' विभागी न्नति समिति (1) ऋपर महानि	
					महानिदेशक, दूरव मध्यक्ष	प्री न—–
					(2) उप सचिव, ग्रीर प्रसारण मंद	

सदस्य

(3) निवेशक (कार्निक), सूरवर्णन सबस्य

है जबकि चयन के किसी।
प्रक्रम पर संचालोक सेवा भायोग
की यह राय है कि उनके
लिए भारकित रिक्त स्थानों
को भरने के लिए भरेकित

1 5	2	3 4 5	6 . 7	8	9
₽ Phus.				प्रयोप्त सं हो सकेंगे। वाछनीय:- (1) - का संस्थान व प्रा फिल् डिप्लोमा (2) सार्व वादविवाद प्रकाशित (3) किस् विद्यालय डिप्लोमा (4) दूर फम तैया टिप्पण: भारतीय	
10	1 1	12	13		15
नहीं	2 বর্ঘ	(1) 25 प्रतिकृत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्सी द्वारा। (2) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	जिसने उस श्रेणी में 8 वर्षकी. नियमित सेवा की है।	प्रोन्ति समिति : (1) प्रपर महानिवेशक, वूरवर्णन—भड्यक्ष (2) उप महानिवेशक, वूरवर्णन—सदस्य (3) निवेशक (कार्मिक) दूरवर्णन—सदस्य टिप्पणः पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोप्निति समिति की कार्यवाहियां, संभ कोक सेवा मायोग के मनुमोदनार्य भंजी जाएंगी । किन्तु, यदि संघ लोक सेवा मायोग इनका मनुमोदन महीं करता है तो, विभागीय प्रोप्निति समिति की बैठक संघ लोक सेवा मायोग के मध्यक्ष या किसी	सीधी मर्ती करते समय संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करगा प्रायश्यक है।

जाएगा चाहे उन्होंने प्रवेक्तित संख्या में वर्षों की प्रार्हक सेवा पूरी

न की हो ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1982

- G.S.R. 496(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and Group 'B' posts in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—
- 1. Short Title and Commencement: (1) These rules may be called the Doordarshan (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1982.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay: The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.
- 4. Initial Constitution: (1) The regularly appointed officers of the All India Radio who on the date of commencement of these rules are working or have at any time prior to that date worked in Doordarshan against posts mentioned in column 2 of the Schedule annexed to these rules and are willing to be absorbed in the cadre of the Doordarshan will be eligible to be considered for appointment at the initial constitution stage to posts corresponding to those which they were holding on a regular basis provided that such officers make a written request in this regard within three months from the date of commencement of these rules.
- (2) The suitability of the officers referred to in sub-rule (1) for appointment to the respective grades shall be determined by a selection committee to be constituted by the Union Public Service Commission with the Chairman or Member of the Commission as President and not more than two representatives of appropriate status to be nominated by the Ministry of Information and Broadcasting. The Selection Committee shall prepare a list of officers considered suitable for such appointment and submit the same to the Commission. On receipt of the said list, the Commission shall forward its recommendations for appointment of the officers found suitable to the respective grades to the Ministry of Information and Broadcasting.
- (3) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (2) prior to their appointment to the cadre of the Doordarshan shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.
- 5. Future Maintenance: The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns 6 to 15 of the Schedule annexed to these rules.
 - 6. Disqualification: No person,-
 - (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

them.

[काग IIमाब 3(1)	'.] 			માર =	त काराजपत्ने: ग्रस	साधारण ——————————	[5]					
		SCHEDULE										
S. Name of post	No. of posts	Classifica- tion	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civi Service (Pension) Rules, 1972	recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.					
1 2	3	4	5	6	6(a)	7	8					
Director General	1* (In 1982)	General Central Service Group 'A' (Gazetted)	Rs. 2500- 125/2-2750 dependent on	Selection	No	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govern-	(i) Degree of a recognised University or equiva-					
						ment). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	capacity for organisa- tion. (iii) Knowledge of India's					

Whether age and Period of Method of recruitment Incase of recruitment by pro- If a Departmental Pro-Circumstances motion/deputation transfer, motion Committee grades from which promo-exists, what is its co educational qualiprobation, by direct rein which Union Public Service Commission is cations prescrib-ed for direct relfany crultment or by promoexists, what Is its comtion or by deputation/ transfer and percentage tion/deputation/transfer to be position. rccruits will apply made to be consulted in the case the v. cancies to be in making repromotees filled by various metcruitment heds 12 9 10 11 13 14 No 2 years By prometion or trans-Group 'A' Departmental Promotion: Consultation (i) Additional Director Genfer on deputation or Promotion Committee with the Union direct recruitment the eral with 2 years regular for considering pro-Public Service exact method to be decided on each occaservice in the grade. motion as wellascon-Commission Failing (i) above, Additional Director General with 5 years regular service in the grade of necessary while making direct firmation) sion in consultation with the Union Public (i) Chairman/Member, Union Public Service recruitment an d Commission—Chair-Service Commission. officer for a p-Additional Director Genman. pointment on (ii) Secretary, Ministry deputation. eraland Deputy Director General combined toof Information & Broadcasting-Member. gether. Transfer on deputation. (1) (1) Officers of All India Services holding analogous posts or approved for appointment to posts in the scale of Rs. 2500-2750 and (ii) Officers under the Central Government (including Central Services Group 'A')/ Governments holding analogous posts or with 2 years service the posts in the scale of Rs. 2250-2500 or equivalent or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 2000-2250 or equivalent and (2) Possessing experience or the type mentioned in (ii) under column 9. (Period of deputation shall not exceed 5 years.) Educational and other quali-Whether Age limit for direct Classifica-Whether Scale of pay No. of Name of post fications required for direct benefit of selection recruits posts tion No. added years of service recruits post or non-selecadmissible tion post under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 5 6 6(a) 4 2 exceeding 50 Essential: Rs. 2250-Sclection No *****1 General 2. Additional years (Relaxable for (i) Degree of a recognised (1982)Central 125/2-2500 Director General Government University or equivaser-Service vants by 5 years in Group 'A'

(Gazetted)

*Subject to variation dependent on workload.

accordance with in-

structions issued by

the Central Govern-

Note: The crucial

date for determining the age limit

shall be the closing

date for receipt of

candidates in India

(other than those in

from

applications

ment).

(ii) 14 years' experience in

television,

gramme

a supervisory capacity

in educational, cultural.

publicity or professional

institution / organisation,

including adequate gen-

eral administrative ex-

and capacity for or-

perience with

ganisation.

film,

pro-

ability

production,

1 2	3	4 5	6 6	5(3)	7		8
				Andame Islands ; Lakshad	and	(lii) Knowle cultural differen cultural express country (iv) Knowle affairs	I heritage and of t forms of literary and artistic ions in the dge of current and contempo-
						relaxable of the Service case of	Qualification(s) at the discretion Union Public Commission in candidates other- Il qualified.
			,			regalding are relation of Service Coase of caing to service and Schat any service Commission that of catthese coming the	ne qualification(s) experience is/ kable at the dis- the Union Public commission in the indidates belong- Scheduled Tribes if tage of selection, n Public Service on is of the opi- sufficient number didates from munities possess- requisite experi- not likely to be to fill up the reserved for
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	motion/dep grades from tion/depution made	outation tr. usfer, m which promo-	motion Com	imental Pro- mittee exists, composition	Circumstances inwhich Union Public Service Commission is to be consulted in making re cruitment
9	10	11		1 2		13	16
No	2 years	By promotion or transfer on deputation or direct recruitment; the exact method to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission.	Deputy I with 2 : vice in the Traffsfer of (1) (i) Off Service service (ii) Off tral	Director General years regular ser- ne grade, on deputation, ficers of All India es with 4 years we as such; and fficers of the Cen- Government in- ng Central Services	mental Pro Committe (for conside tion) (i) Chairm Union Pu Commi man. (ii) Sceren: of Info	omotion te. ring promo- un/Member' ablic Service ssion—Chair ry, Ministry rmation and	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direc recruitment and selecting ar officers for appointment or deputation.

9 10 11 12 13 14 analogous posts or with (iii) Director General. 2 years service in posts Doordarsh n-Member. Ά, in the scale of Rs. 2. Group Depart-2000-2250 or equivalent; mental Promotion Comand mittee (for consider-(2) Possessing experience of ing confirmation). the type mentioned in (i) Secretary, Ministry of Information (ii) under column 9. and (Period of deputation shall Broadcastingnot exceed 5 years). Chairman, (ii) Director General, Doordarshan-Member. Note:-The proceedings of the Departmenta l Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to he presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. Whether Age limit for direct Educational Classifica-Scale of pay Whether and S. Name of post No. of other selection benefit of recruits qualifications required for No. posts tion post or added serdirect recruits non-selecvice admissible tion post under rulë 30 of the

sion) Rules. 1972. 7 8 5 6(a) 4 6 1 2 3 Not Applicable Not Applicable 3* Rs. 2000-Selection Not General 3. Deputy Director General Central 125/2-2250 Applicable Service Group 'A' Gazetted *Subject to variation dependent on workload.

Central Civil Services (Pen[भाग II--संड 3(i)] भारत का राजपत्न : प्रसासारण 19 Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by pro- If a Departmental Pro- Circumstances probation, educational qualiwhether by direct re- motion/deputation/transfer, motion Committee exists, in which Union fications prescribif any cruitment or by promo- grades from which promo- what is its composition Public Service ed for direct retion or by deputation/ tion/deputation/transfer to be Commission is cruits will apply transfer and percentage to be consulted made in the case of the vacancies to be in making recruitment promotees. filled by various methods 10 9 11 12 13 14 Not Applicable 2 Years By promotion Promotion: Director (Door- 1, Group 'A' Depart-Consultation darshan Kondras), Controlmental Promotion with the Union Committee Public Service ler of programme and Controller of Sales with 5 (for considering promo-Commission not years' regular service in tion). necessary while the grade. (i) Chairman/Member, selecting an Union Public Serofficer for apvic e Commi ss ionpointment to Chairman. the post. (ii) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadca sting-Member. (iii) Director General, Doordarshan-Member 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (i) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting-Chairman. (ii) Director General, Doordarshan-Member Note :- The Proceedings of the Departmental Promotion

> Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

20			11	1E UAZEI	IE OF IN	DIA LAI	KAORDINAKY	[PART II—SEC. 3(1)
S. No.	Name of post	No. of posts	Classifica- tion	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1 -	2	3	4	5	. 6	6(a)	7	8 ′
	(i) Director— (Doordarshan Kendias) (ii) Controller of Programme—3 (iii) Controller of Salcs—1	(1982)	General Central Service Group 'A' Gazetted). *Subject to variation dependent on warkload	Rs. 1500- 60-1800-100 2000	Selection	No	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Goment). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

[भाग IIखंड 3(i)]		भारत का राजपद्ध : भसिक्षारण					
1 ; 2	3	4 5	6 6(.)	7	8		
				cultural (iii) E/idence work o duction	activities. of published f creating pro- in the candi- own field of sation.		
Whether age and educational qualifications prescribed for diject recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	whether by direct recruit- ment or by promotion	tion/deputation/transfer to be	If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition			
9	10	11	12	13	14		
No	2 Years	(i) 33-1/3 per cent by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract). (ii) 33-1/3 per cent by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer failing which by direct recruitment. (iii) 33-1/3 per cent by direct recruitment.	Promotion: Deputy Director (Programme) and Public Relations Officer with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (in- cluding short-term con- tract)/transfer Officers under the Central/ State Governments/Semi- Government, Statutory or Autonomous Organisations/ Councils/Institutions— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equi- valent; and (b) Possessing the educa- tional qualifications and experience laid down for direct recruits under column 9. (period of deputation/ contract shall ordinarily not exceed 4 years). Note:—The proceedings of the Departmental Promo- tion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmen- tal Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	mental Promotion Committee (for considering promotion) (i) Chairman/Member, Union Public ServiceCommission— Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcast-	Commission necessary while making direct recruitment and selecting art officer for ap- pointment on deputation/ contract/tra- nsfer.		

2 2			THE	GAZET	TE OF IN	DIA : EXTI	RAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]	
S. No	Name of post	No. of posts	Classi- fication	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other quali- fications required for direc recruits	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	(i) Deputy Director (Programme) (ii) Public Relations Officer-1	*9 (1982) *Su	General Central Service Group 'A Gazetted bject to vari		Selection	No	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	-	

number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the

vacancies reserved for

(i) Knowledge of Hindi and preferably one other Indian language.
 (ii) Experience of organising cultural activities.

them.

Desirable:

1 2	3	4	5 6	7	8	9
					(iii) Knowlo languag English	
						pation in casual on programme.
				<u> </u>		
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	whether by direct recruit- ment or by promotion or	In case of recruitment by pumotion/deputation/transfer, grades from which promotic deputation/transfer to be ma	motion Cor on/ what is i	nmittee exists	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making re- cruitment
10	11	12	13		14	15
No	2 years	75 % promotion failing which by direct recruitment. (ii) 25 per cent by direct recruitment.	Promtion: Assistant Station Direct Deputy Assistant Controll of Programme and Astant Controller of Si with 3 years' regular service in the grade.	or, menta er Commit siss- siderin ales (i) Chair ce Union vice C Chair (ii) Joint nistry tion a ing— (iii) Direc Door Memt (iv) Addit Gene rector Mem 2. Group tal Pro mmitte ing cor (i) Joint Minis tion a ing— (ii) Direc Door Memt (iii) Addit Genet rector darsh Note: T of the Promoti relating tion sha Commis roval, these ar by the	tee (for cong promotion) man/Member, Public Serommission— man Secretary, Miof Informand Broadcast- Member tor General darshan— cer ional Director ral/Deputy Director ral/Deputy Director ral/Deputy Director for Consider- motion Co- e for consider- motion Co- motion Co- e for consider- motion Co-	Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

television programme.

			TE ONEDI	- La Circulation		TRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(1)
01	11	12		13		14	15
							tal Promo- itee to be or by the a Member ion Public ommission d.
	2	3 4	5	6	7	8	9
				·		Not exceeding 35	Essential -
(ii)	Assistant Station Director 29 Deputy Assistant Controller of Programme 2 Assistant Controller of Sales 1	Group Gezett 1	1 40-1100-1 50-1400 'A' ed		No	Not exceeding 35 years. (Relexable to Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: (i) Degree of a recognis University or equival (ii) 3 years experience planning and production of programme of television or some broadcasting or film drama or publicity wisual impact. (iii) Intimate Knowledge India's cultural herita and of differnet form of cultural and artise expressions in the country (evidence to be of mished). Note 1: Qualifications of relaxable at the discussion of the Union Publication of the Union Publication of candidates otherwished. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the office cretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates of candidates of the case of candidates of candidates and Schedul Tribes if, at any stage selection the Union Public Service Commission is the opinion that sufficient number of candidates for these communities possing the requisite experies are not likely to be availed to fill up the vacan reserved for them. Desirable: (i) Knowledge of Hinding preferably one of Indian language. (ii) Experience of organicultural activities. (iii) Knowledge of a form language other than lish. (iv) Participation in called the capture of the candidates of the capture of the

10 12 15 11 13 14 No 1. Group 'A' (Depart-2 years (i) 75 per cent by pro- Promotion: Consultation motion failing which Programme Executive with 5 with the Union mental Promotion Co-Public Service ducct recruityears' regular service in the mmittee) for considering Commission nement. grade. promotion. (ii) 25 per cent by direct. Note:—The eligibility list for (i) Chairm in/Member, cessary while acciuitment, direct promotion shall be propared Union Public Serm iking with reference to the date recruitment and vice Commission-promotion. of completion by the officer Chairman of prescribed qualifying (ii) Additional Director service in the respective General/Deputy Digrade/post. rector General, Doordarshan -Member (id) Deputy Secretary. Ministry of Information and Broadcast--Member ing (iv) Director (Personnel), Doordarshan-Member 2, Group 'A' (Depart-Promotion mental Committee) for considering confirmation: (1) Additional Director General/Deputy Di-General, rector Doordarshan --Member (ii) Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting -Member (iii) Director (Personnel). Doordarshan-Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. 3 4 5 6 7 2 8 Rs. 650- Selection *52 7. Programme Execu-General Between 21 and 30 Essential: 30-810-(1982)Central (i) Degree of a recognised tive years (Relaxable

Service

*Subject

to variation

dependent

on workload.

Group'B'

(Gazetted)

EB-35-880-

EB-40-1200

40-1000-

upto 5 years for Go-

vernment servants

in accordance with

the instructions is-

sued by the Cen-

tral Government.)

University or equivalent

one Indian language.

have offered it as a sub

(The candidate should-

(ii) Sound knowledge of

the literature of at I

1

2

3

9

5 6 7 Note: The crucial date for determining the age limit shall be the cloof applications from candidates in India (other than those in Andaman

sing date for receipt and Nicobar Is-

lands and Laksha-

dweep).

8

- ject for a degree or should furnish evidence of published, creative or critical work in the language).
- (iii) Knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished).

Note 1 :- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of condidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable:

- (i) Diploma in performing arts or in film production/direction from a recognised Institute or equivalent.
- (ii) A record of literary dramatic or debating activities or published work.
- (iii) Diploma in journalism from a recognised University or equivalent.
- (iv) Experience in programme production in Television/Films

Note: -The required Indian language at (ii) will be indicated at the time of recruitment.

10	11	12	13	14	15
No	2 years	(i) 25 per cent by pro- motion failing which by direct recruit- ment,	Transmission Executives with	Promotion Connittee;	with the Union Public Service

15 14 13 12 11 10

> (ii) 75 per cent by direct Note 1:--The promotion shall recruitment.

be on All-India basis. For this purpose, a single cligibility list of Transmission Executives shall be prepared on the basis of their date of regular appointment in the Note:-The proceedings respective cadre subject to the inter se seniority or persons within the same cadre being maintained. In case date of regular appointment of persons from different cadres is the same the seniority will be determined with reference to the date of birth; the one born earlier being senior.

Note2: If any person appointed to the post of Transmission Executive is considered for the purpose of promotion, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of qualifying service.

shan -Chairman cessary while (a) Deputy Director Ge- making direct neral, Doordarshan recruitment. -Member

(iii) Director (Personnel) Doordaishan -Member of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be met.

> [F N) 501/3/76-TV (Vol. II)] P.K. SINHA, Dy. Secy.